कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID: cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–01

निकाय की मूल–भूत सुविधा हेतु अकुशल श्रमिक प्रदाय के देयक भुगतान में होने वाले अतिरिक्त एवं पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति बावत्।

01 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रशासक महोदया, के आदेश स्वीकृति टीप दिनांक 01.10.2016 द्वारा अकुशल श्रमिक प्रदाय के लिये राशि 97,48,332.00 रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निविदा शर्तो में श्रमिकों को प्रचलित कलेक्टर दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान था। समय समय में बढ़े हुये प्रचलित कलेक्टर दर से भुगतान किये जाने के कारण मूल स्वीकृति से राशि 5,75,209.00 रूपये अतिरिक्त व्यय होना है।

इस प्रकार प्राप्त मूल स्वीकृत राशि 97,48,332.00 रूपये में अतिरिक्त व्यय 5,75,209.00 रूपये जोड़ते हुये कुल राशि 1,03,23,541.00 रूपये पुनीरीक्षित व्यय की स्वीकृति हेतु एम.आई.सी.में विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –01

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–02

निकाय की मूलभूत सुविधा हेतु कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय के देयक भुगतान में होने वाले अतिरिक्त एवं पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति बावत्।

01 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रशासक महोदया, के आदेश स्वीकृति टीप दिनांक 01.10.2016 द्वारा कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक प्रदाय के लिये राशि 61,10,110.00 रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निविदा शर्तो में श्रमिकों को प्रचलित कलेक्टर दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान था। समय समय में बढ़े हुये प्रचलित कलेक्टर दर से भुगतान किये जाने के कारण मूल स्वीकृति से राशि 8,84,484.00 रूपये अतिरिक्त व्यय होना है।

इस प्रकार प्राप्त मूल स्वीकृत राशि 61,10,110.00 रूपये में अतिरिक्त व्यय 8,84,484.00 रूपये जोड़ते हुये कुल राशि 69,94,594.00 रूपये पुनीरीक्षित व्यय की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –02

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–03

औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय की सीमा से पृथक करने बावत्।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को नगरीय निकाय की सीमा से पृथक करने के संबंध में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण दुर्ग से पत्र प्राप्त हुआ है, उक्त पत्र मे यह उल्लेख किया गया है कि नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा में इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई क्षेत्र सम्मलित है, जिसे पृथक करने की कार्यवाही की जानी है। परिसिमन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय की सीमा से पृथक करने के संबंध में स्पष्ट प्रस्तावमय अभिमत के साथ शीघ्र संचालनालय को उपलब्ध किया जाना है, जो कि उक्त इंजिनियरिंग पार्क के स्वीकृत अभिन्यास दुर्ग तथा ग्राम निवेश दुर्ग के स्वीकृत क्रमांक 2394 दुर्ग दिनांक 30.05.2013 है स्वीकृत मानचित्र में खसरा नम्बर उल्लेखित है जो कि खसरा नम्बर एवं रकबा निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर 320 (पार्ट) 321(पार्ट) 322 (पार्ट) 323,324 (पार्ट) 325,326,327,328,329,330,331 (पार्ट) 332,333,334, (पार्ट) 335,336 (पार्ट) 337 (पार्ट) 338,339 (पार्ट) 340 (पार्ट) 341,342, (पार्ट) 343 (पार्ट) 344 (पार्ट) 345 (पार्ट) 414 शामिल, 346,347 (पार्ट) 348,349 (पार्ट) 358 (पार्ट) 364 (पार्ट) 365 (पार्ट) 366 (पार्ट) 367,368,369,370 (पार्ट) 371 (पार्ट) 372 (पार्ट) 373 (पार्ट) 374,375,376 (पार्ट) 377,378,379,380 (पार्ट) 381 (पार्ट) 382 (पार्ट) 383 (पार्ट) 384 (पार्ट) 385 (पार्ट) 386 (पार्ट) 387,388,389,390 (पार्ट) 391 (पार्ट) 392,393 (पार्ट) 394,395 (पार्ट) 396 (पार्ट) 397 (पार्ट) 398,399,400,401 (पार्ट) 402,403,404 (पार्ट) 405 (पार्ट) 406 (पार्ट) 407,408,409,410,411,412,413,(पार्ट) 349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359, 360,361,362,263, (पार्ट) 264 (पार्ट) 265 (पार्ट) 261,258 (पार्ट) 262 (पार्ट शामिल) 253,254,255,256 शामिल, 259,260,251 (पार्ट) 256 (पार्ट) 257/8 कुल रकबा 122. 618 है.।

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

<u>संकल्प –03</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई औद्योगिक क्षेत्र को निकाय सीमा से बाहर रखने से निकाय को आर्थिक रूप से अत्यधिक हानि होगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने के मार्ग भी प्रभावित होंगे। इसमें काम काने वाले श्रमिक निकाय क्षेत्र के रहवासी होंगे जिसमें बहुत बडी संख्या समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्र या अन्य क्षेत्रो से आने वालो श्रमिको की रहती है जो निगम क्षेत्र में किराये के मकान या शासकीय भूमि पर अनियंत्रित रूप से निवास करते है। जिन्हे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी निकाय के उपर आती है। इसलिये औद्योगिक क्षेत्र को निकाय सीमा में ही रहने दिया जावें।

इसी आशय के साथ औद्योगिक क्षेत्र को निकाय क्षेत्र से पृथक करने पर आपत्ति के साथ परिषद् में विचार के लिये रखने हेतु सर्वसम्मति से अनुशंसित करने का निर्णय लिया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–04

सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

छ.ग.शासन द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा में सहायक अभियंता के स्वीकृत 03 पद में से 02 पद नियमित तथा 01 पद सांख्येतर है। स्वीकृत नियमित 02 पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है। शासन के पत्र दिनांक 21.04.2017 के द्वारा छ.ग. नगर पालिका अधिनियम(अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते नियम 2007 के नियम 16 के अंतर्गत) अनुसूची के सरल कमांक 26,27 एवं 28 में उल्लेखित अभियंताओं के प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत पदों में से वर्तमान में रिक्त पद में केवल कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए पदोन्नति की सहमति दी गई है। वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में प्रतिनियुक्ति हेतु 01 पद तथा पदोन्नति हेतु 01 पद अर्थात 02 पद रिक्त है।

कमांक	रोस्टर बिन्दु क.	वर्ग	नियुक्त व्यक्ति का नाम
1	एक	अनारक्षित	रिक्त
2	दो	अ.ज.जा.	रिक्त

उक्त आरक्षण रोस्टर अनुसार कमांक–01 अनारक्षित तथा क्रमांक–02 अ.ज.जा के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति हेतु पद रिक्त है। इस निकाय में कार्यरत उपअभियंता की वरीयता सूची अनुसार वरियता क्रम में अनु.ज.जाति के अभ्यार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 04.04.2011 होने के कारण पदोन्नति की पात्रता तिथि अप्रैल 2023 हैं।अतः वर्तमान में एक पद आरक्षण रोस्टर अनुसार अनारक्षित के पद पर वरीयता क्रम में 03 उपअभियंता श्री टी.के.देव,श्री सी.बी.परगनिहा, एवं श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर विचार किया गया,जिसमें श्री टी.के.देव वरीयता क्रम में प्रथम होने के कारण तथा सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप सहायक अभियंता के रिक्त अनारक्षित पद पर वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 5400 पर पदोन्नति की अनुशंसा सर्व सहमति से की गई है।

सहायक अभियंता का पद मेयर इन काउंसिल के अधीन होने के कारण प्रकरण अनुमोदन हेतु मेयर इन काउंसिल के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

संकल्प –04

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–05

मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन हेतु 65 नग रिक्शा क्रय हेतु अतिरिक्त व्यय राशि रू 1.82 लाख की स्वीकृति बावत्।

एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 17.08.17 के प्रस्ताव एवं संकल्प क–02 द्वारा शासन निर्देशानुसार 65 नग ट्रायसिकल क्रय करने पर राशि रूपये 27.30 लाख रूपये की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। ट्रायसिकल नेट प्राईस मे एस.जी.एस.टी 6 प्रतिशत एव सी.जी.एस.टी 6 प्रतिशत इस प्रकार कुल 12 प्रतिशत जी.एस.टी लगने के कारण दरों में वृद्धि हुई हैं, पूर्व स्वीकृत राशि 27.30 रूपये में अतिरिक्त व्यय 1.82 लाख रूपये इस प्रकार कुल 29.12 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति एवं एम.आई.सी की स्वीकृति के प्रत्याशा में की गई भुगतान की पुष्टिी के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –05

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–06

व्यवसायिक क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिन रात एवं त्यौहारों में दो बार साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में ।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक/9228/नया रायपुर दिनांक 18.08.17 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये व्यवसायिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में स्वच्छता के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है।

(अ) ऐसे स्थान से है, जहाँ व्यक्ति फल, शाक,मास,मछली,पशु या क्षयशील प्रकार के किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ के विकय के लिए एकत्रित होते हों,चाहे ऐसे स्थान में ,अन्य पदार्थो के विकय के लिए दुकानों या गोदामों या स्टालों कोई भी समूह हो या नही, या

(ब) उपचरण (अ) में उल्लेखित स्थान के अतिरिक्त व्यापार के किसी भी ऐसे स्थान से है,जहाँ दुकानों या गोदमों या स्टालों का समूह हो

(स) अ एवं ब में 10 या 10 से कम दुकानों के समूह सम्मिलित नही होंगे।

(द) यह क्षेत्र केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं साफ सफाई की व्यवस्था हेतु

व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में चयनित किये जायेगेः–

भिलाई–3 बाजार चौक, निहारिका परिसर भिलाई–3 एवं जी.ई.रोड चरौदा के दोनो ओर

उपरोक्त चिन्हित क्षेत्रों को व्यवसायिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –06

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्तावित प्रस्ताव में सम्मिलत क्षेत्र के साथ ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज को भी व्यवसायिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–07

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 5–33/2017/18 नया रायपुर दिनांक 08/08/2017 द्वारा मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन, पृथकीकरण तथा कम्पोस्टिंग द्वारा अपशिष्टों के निपटान हेतु आवासीय/व्यवसायिक/आवासिय सह व्यवसायिक एवं अन्य संस्थानों की अनुमानित संख्या को संज्ञान में लेते हुए कार्य संपादन में मितव्यत्ता के दृष्टिकोण से स्वसहायता समूहों के द्वारा कार्य किया जावेगा एवं इनके मानदेय पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये यूजर चार्जेस शासन द्वारा निर्धारित दर एवं मानदण्ड के अनुसार कार्य करने वाले सफाई मित्रों के द्वारा ही वसूली का कार्य प्रत्येक घर से किया जावेगा। जिसके लिये शासन ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में 01 अप्रेल 2011 को दर सूची का प्रकाशन किया है, जिसे निकाय में लागू करना अनिवार्य है। जो कि निम्नानुसार है :–

अनूसूची – 2

सेवा शुल्क की अनुसूची

(देखें उप विधि 15)

क्रं.	अपशिष्ट जनन कर्ता	सेवा शुल्क	स्पष्टीकरण
	गृहस्थी		
1	प्लिंथ क्षेत्रफल वर्गफुट से कम	रू. 20/–प्रतिमाह	
2	प्लिंथ क्षेत्रफल 501 – 750 वर्गफीट	रू. 30/–प्रतिमाह	
3	प्लिंथ क्षेत्रफल 751 – 1000 वर्गफीट	रू. 50/–प्रतिमाह	
4	प्लिंथ क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	रू. 100/–प्रतिमाह	
5	रेस्तरा		
6	गाहक– कुर्सियां 25 से कम	रू. 500/–प्रतिमाह	ऐसे स्वल्पाहार–गृह जहा ग्राहक हेतु कुर्सिया न हो, ये इस श्रेणी मे आयेगें
7	गाहक– कुर्सियां 26–50	रू. 1000/–प्रतिमाह	
8	गाहक– कुर्सियां 50 से अधिक	रू. 1500/–प्रतिमाह	

	हॉटल/लॉज/अतिथि गृह	शुल्क (रू. प्रतिमाह)			
	आधार	कमरा	प्रति – रेस्तरा	प्रति बगीचा	प्रति बेंक्वेट हॉल
9	25 कमरो से कम	1000	1000	500	500
10	25–50 कमरे	5000	4000	3000	3000
11	धर्मशाला	रू. 10/–प्रतिमाह			
12	प्रति कमरा	रू. 200/–प्रतिमाह			
13	बारात घर	रू. 10000/–प्रतिमाह			
14	शैक्षणिक संस्थाएं				
15	प्राथमिक शाला (शासकीय)	रू. 250/–प्रतिमाह			
16	प्राथमिक शाला (निजी)	रू. 500/–प्रतिमाह			
17	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (सासकीय)	रू. 2500/–प्रतिमाह			
18	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (निजी)	रू. 5000/–प्रतिमाह			
19	महाविद्यालय	रू. 2000/–प्रतिमाह			

20	विश्वविद्यालय	रू. 5000/–प्रतिमाह	
21	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	रू. 1000/–प्रतिमाह	
22	अस्पताल/नर्सिंग होम(जैव चिकित्सीय अपशिष्ट छोड़कर अन्य के लिए		
23	बिस्तर 20 से कम	रू. 500/–प्रतिमाह	
24	पैथॉलोजी लैब	रू. 1500/–प्रतिमाह	
25	वाणिज्यक सीपनाऐं		
26	फर्श क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम	रू. 100/–प्रतिमाह	वेंडरो के लिए रू. 20/ –प्रतिमाह शुल्क देय होगा
27	फर्श क्षेत्रफल 101–300 वर्गफुट	रू. 300/–प्रतिमाह	
28	फर्श क्षेत्रफल 301–500 वर्गफुट	रू. 750/–प्रतिमाह	
29	फर्श क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक	रू. 1500/–प्रतिमाह	
30	शॉपिंग मॉल	रू. 150 प्रति वर्गफुट/प्रतिमाह	
31	सब्जी/फल/फुल/मछली/मुर्गा/मटन मार्केट		
32	ट्रक जो सब्जी/फल/फुल/लोडिंग/अनलोडिंग करे	रू. 75/–प्रतिएल.सी.बी.	लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय शुल्क पृथक–पृथक देय होगा.
33	फर्श क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम	रू. 150/–प्रतिमाह	वेंडरो के लिए रू. 30/ –प्रतिमाह शुल्क देय होगा
34	फर्श क्षेत्रफल 101–300 वर्गफुट	रू. 450/–प्रतिमाह	
35	फर्श क्षेत्रफल 1015300 वर्गफुट	रू. 1125/–प्रतिमाह	
36	ब्युटी पार्लर	रू. 500/–प्रतिमाह	
37	सिनेमा थियटर	रू. 1000/–प्रतिमाह	
38	मनोरंजन(आमोद) पार्क	रू. 10000/–प्रतिमाह	
39	आश्रम शालायें	रू. 2000/–प्रतिमाह	

अनुसूची – 3
विभिन्न अपराधों के लिए शक्तियों की अनुसूची
अधिनियम की धारा 428 (1) (क) के अंतर्गत

क्रं.	उप–विधि का संदर्भ	अपराध	प्रथम अपराध के लिए शास्ति	अपराध दोहराने पर शास्ति
1	2	3	4	5
1	7 (1)	स्त्रोत पर कूड़ा का पृथकरण नही करना	रू. 100/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
2	7 (2)	कूड़ा खुली हालत मे भंडारित	रू. 100/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
3	7 (3)	कूड़ा कूड़दान के बाहर बिखरा रहना	रू. 100/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
4	7 (4)	ठोस अपशिष्ट के साथ तरल अपशिष्ट मिला देना	रू. 100/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
5	8 (1)	मलबा जनित कर्ता द्वारा निरीक्षक या एजेंसी, यथा अपेक्षित (भुगतान सहित) समय में मलबे की सूचना नही देना जिससे की मलबे का ढेर बन रहा है	रू. 500/ –	रू. 10/– प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे
6	8 (1) & (2)	वास्तविक जनित मलबा सूचित मात्रा/भुगतान की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है	रू. 500/ –	रू. 10/– प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे
7	9	औद्योगिक कूड़ा का निपटारा उप–विधि के उल्लंघन में	रू. 500/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
8	11	मार्गो और/या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा बिखेरना या बिखराना	रू. 500/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
9	12	घरेलू/पालतू जानवरों से मार्गो या सार्वजनिक	रू. 500/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया

		स्थानों में मल/गोबर कराना		अपराध माना जायेगा
10	13	मार्गों, नाली में या सार्वजनिक स्थानों पर शौच करना या शौच हेतु बच्चों को बैठाना	रू. 10/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
11	14	निजी या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाना	रू. 50/ –	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जायेगा
12	15 (4)	जैसे ही और जब बकाया हो सेवा शुल्क या शास्ति का भुगतान न करना या रोकना	रू. 500/ –	रू. 10/– प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे
13	16 (1)	उप–विधियों का किसी प्रकार का उल्लंघन जो उपरोक्त में उल्लेखित नही है	रू. 500/ –	रू. 10/– प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे

संकल्प –07

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–08

सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचलयों हेतु यूजर चार्ज निर्धारण के संबंध में।

नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा क्षेत्र को ओ डी एफ घोषित होने एवं विगत जूलाई 2017 से निगम के विभिन्न वार्डो में स्थापित 20 नग सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयो में केयर टेकर कम सफाई कर्ता के रूप में रखकर संचालित किया जा रहा है। शौचालय में साफ–सफाई के साथ–साथ शौचालयों में लगने वाले समस्त आवश्यक सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः उक्त शौचालयों में उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग करने पर अभी तक किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया गया। इसे निरंतर बनाये रखने, रख–रखाव, केयर टेकर मानदेय, मेन्टेनेंस आदि हेतु आंशिक रूप से ऐसे नियमित उपभोगकर्ताओं से जिनके घर पर शौचालय का निर्माण हो चुका है फिर भी एक या पुरा परिवार सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा है उन्हे शौचालय के उपयोग करने पर प्रति माह **प्रति परिवार 100 रू** सेवा शुल्क लिया जाना उचित होगा। इस हेतु मासिक प्रति व्यक्ति/प्रति परिवार दर/शुल्क निर्धारण करने हेतु प्रकरण एम आई सी की बैठक में रखे जाने संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>संकल्प –08</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–09

अस्थाई केयर–टेकर के नियुक्ती के समय वृद्वि के संबंध में।

नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा क्षेत्र में 20 सार्वजनिक शौचलय विभिन्न वार्डो में स्थापित है जिनकी साफ सफाई देखरेख करने हेतु 20 नग केयर टेकर सूडा द्वारा जारी आदेश पत्र क/2902/1487/2017/18/दिनांक 22.07.17 में 5000/– रूपये प्रति केयर टेकर मानदेय निर्धारित किया गया ।

एम.आई.सी की बैठक दिनांक 06.05.2017 के प्रस्ताव एवं संकल्प क–01 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यालयीन पत्र क–835/2017/भिलाई–चरोदा दिनांक 23.06.17 द्वारा केयर टेकर के लिये जुलाई/अगस्त/सितम्बर तीन माह तक आदेश प्रसारित किया गयाथा,एवंआगामी अक्टूबर/नवम्बर/दिसम्बर/जनवरी/फरवरी/मार्च इस प्रकार 06 माह आगामी वृद्वि के लिये एवं व्यय राशि प्रति माह 01 लाख रूपये कुल 06 लाख रूपये की स्वीकृति हेतु प्रकरण एम.आई.सी.में रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>संकल्प –09</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Email ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–10

अधोसंरचना अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिये स्वीकृत राशि 17. 26.58 लाख राज्य परिर्वतित योजनांतर्गत 25.56 लाख रूपये एवं 14 वे वित्त आयोग अन्तर्गत 247.86 लाख रूपये का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध मे।

संचालक नगरीय प्रशासन के पत्र कमाकं/6390/दिनांक 01.06.17 में दिये गये निर्देशानुसार नगरीय निकाय क्षेतान्तर्गत पुराने सी.सी.रोड का नवीनीकरण, नवीन मार्गो में सी.सी.,बी.टी,डब्लयू बी.एम.सड़क एवं नाली निर्माण के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र कमाक/730/दिनांक 18.09.17 के द्वारा राशि रूपये 2101.62 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक/11609/ रायपुर दिनांक 13.10.17 के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो के लिये अधोसंरचनामद अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मदों के लिये कुल राशि रूपये 2000.00 लाख की प्रावधिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व के प्रेषित कार्यो में से आवश्यकतानुसार कार्यो को समाहित करते हुये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है–

1. **अधोसरंचनामद योजनांतर्गत**	
सड़क नाली इत्यादि हेतु:–	1726.71 लाख
2. **राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत –**	
वार्ड क–08 स्थित	
मुक्तिधाम,उन्नयन कार्य हेतु:–	25.56 लाख
3. **14 वे वित आयोग योजनांतर्गत :–**	
वार्ड क –07 में सिवर लाईन निर्माण:–	73.22 लाख
वार्ड क– 07 में नाला निर्माण :–	75.93 लाख
वार्ड क– 18–19 में नाला निर्माण कार्य:–	98.71 लाख
योग =	**2000.13 लाख**

उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये **2000.13 लाख** का प्रस्ताव संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>संकल्प –10</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–11

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई–2 के पत्र क्र –269/म.बा.वि.परि./नियुक्ति/2017/भलाई दिनांक 19.07.2017 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र उमदा–02, वार्ड क्र–06 में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर पात्र हितग्राहीयों के नियुक्ति आदेश के संबंध में।

छ0ग0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 728/1098/2008/म.बा.वि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 के निर्देशो के अनुरूप एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई–2 में निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है:–

1	आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	श्रीमती ओमेश्वरी देवांगन	श्री दिनेश कुमार देवांगन	आगनबाड़ी कार्यकर्ता	उमदा–2 वार्ड क्र–06
1	श्रीमती उषा	श्री ढालेश्वर कुमार	आगनबाड़ी सहायिका	उमदा–2 वार्ड क्र–06

(मेयर इन कौसिल द्वारा अनुमोदित)

सेवा शर्तें:–

1. उक्त पद पूर्णतया अस्थायी है, किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता किये जाने की स्थिति में पद से पृथक कर दिया जावेगा।
2. पद के कार्य व उत्तर दायित्वों को निष्ठापूर्वक व सफलता पूर्वक निर्वहन किया जाना होगा।
3. उक्त पर मानसेवी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केन्द्र सरकार से मैट्रिकुलेट होने पर 3000/– रूपये व नान मैट्रिक होने पर 2938 रूपये व राज्य सरकार से 1000/– रूपयें (मैट्रिक व नान मैट्रिक) तथा आंगनबाड़ी सहायिका को केन्द्र सरकार से 1500 रूपयें व राज्य सरकार से 500 रूपये कुल 2000/– रूपये प्रतिमाह प्रदाय किया जावेगा ।
4. नियुक्ति आदेश प्राप्ति के 07 दिवसों के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिक्षा सूची से अन्य आवेदिका की नियुक्ति कर दी जावेगी।
5. कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रति परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई–2 को अवलोकन कराकर दस्तावेजों का परीक्षण व सत्यापन कराया जाना होगा।
6. परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई–2 के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा ।
7. शासन द्वारा पद विषयक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

संकल्प –11

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 13.11.2017

प्रस्ताव क्रमांक–12

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई–2 के पत्र क–271/म.बा.वि.परि/नियुक्ति/2017/भिलाइ,दिनांक 19.07.2017 द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में कैश कार्यकर्ता के पद पर पात्र हितग्राहियों के नियुक्ति आदेश के संबंध में ।

छ0ग0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक एफ 10–3/2014/म.बा.वि./50 रायपुर दिनांक 10.10.2014 में दिये गये के निर्देशो के अनुरूप एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई–2 में निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है:–

क.	आवेदिका का नाम	पति का नाम	पदनाम	केश सेन्टर का नाम	नियुक्ति प्रकिया का चरण
1	श्रीमती सुमित्रा	श्री लक्ष्मी नारायण	केश कार्यकर्ता	गनियारी–1	प्रथम चरण
2	श्रीमती अल्पना सिंगारे	श्री प्रकाश सिंगारे	केश कार्यकर्ता	विद्युत मंडल (भिलाई–3)	द्वितीय चरण
3	श्रीमती हुलेश	स्व.श्री हरीश कुमार	केश कार्यकर्ता	मोरिद–स	तृतीय चरण
4	श्रीमती मुनिका यादव	श्री दुर्गेश यादव	केश कार्यकर्ता	डबरापारा	तृतीय चरण
5.	श्रीमती सुनिता पटेल	श्री नीलकंठ पटेल	केश कार्यकर्ता	मरारपारा चरोदा	तृतीय चरण
6	श्रीमती संगीता डहरिया	श्री राजदीप डहरिया	केश कार्यकर्ता	दादर	तृतीय चरण

(मेयर इन कौसिंल द्वारा अनुमोदित)

सेवा शर्ते :–

1. उक्त पद पूर्णतया अस्थायी है,किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता किये जाने की स्थिति में पद से पृथक कर दिया जावेगा।
2. पद के कार्य व उत्तर दायित्वों को निष्ठापूर्वक व सफलता पूर्वक निर्वहन किया जाना होगा।

3. उक्त पद मानसेवी है। केश कार्यकत्र को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान मानदेय प्रदाय किया जावेगा।
4. नियुक्ति आदेश प्राप्ति के 07 दिवसों के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिक्षा सूची से अन्य आवेदिका की नियुक्ति कर दी जावेगी।
5. कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रति परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई-2 को अवलोकन कराकर दस्तावेजों का परीक्षण व सत्यापन कराया जाना होगा।
6. परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना भिलाई-2 के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा ।
7. शासन द्वारा पद विषयक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>संकल्प -12</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

सचिव

महापौर